कार्यालय वनमण्डलाधिकारी सामान्य वनमण्डल, नीमच(म0प्र0)

पुरानी पुलिस लाईन के सामने, महू–नसीराबाद रोड़, नीमच
Phone No. (07423) 226605, E-mail- dfot.nmh@mp.gov.in

क्रमांक / मा.चि. / 2020 / 3528 नीमच, दिनांक– 1.9.2020

प्रति,

कलेक्टर एवं
अध्यक्ष, टास्क फोर्स
जिला नीमच

विषयः– गंगाबावड़ी ,बाणदा एवं परवनी जलाशय योजना के बदले में प्राप्त राजस्व भूमि पर अतिक्रमण के प्रयास विषयक।

सन्दर्भः– उपवनमण्डलाधिकारी नीमच का पृष्ठांकन क्रमांक / मा.चि. / 2020 / 1340 दिनांक 29.08.2020 एवं वनपरिक्षेत्राधिकारी रतनगढ़ का पत्र क्रमांक / 2020 / मा.चि. / 772 दिनांक 29.08.2020.

विषयांकित प्रकरण में निवेदन हैं, कि नीमच वनमंडल को गंगाबावड़ी ,बाणदा एवं परवनी जलाशय योजना में तहसील सिंगोली के ग्राम लुवां में निम्नानुसार भूमि आवंटित की जाकर हस्तांरित की गई हैं।

अ.क्र.	योजना का नाम	भूमि आवंटन का आदेश क्रमांक	सर्वे नंबर	रकबा (हे. में)
01	गंगाबावड़ी तालाब योजना	क्रमांक / 10 / अ–20(3) / 2017–18 दिनांक 12.09.2018	56	4.11
			167	22.53
			168	1.61
02	बाणदा जलाशय	क्रमांक / 14 / अ–20(3) / 2019–20 दिनांक 07.08.2019	272	25.00
03	परवनी जलाशय		280	8.80

उपवनमंडलाधिकारी नीमच एवं वनपरिक्षेत्राधिकारी रतनगढ़ द्वारा उनके संदर्भित पत्रों (छायाप्रति संलग्न) से अवगत कराया हैं, कि गंगाबावडी तालाब, बाणदा तालाब एवं परवनी जलाशय योजना में प्रभावित होने वाली वनभूमि के बदले में प्राप्त उपरोक्त भूमि पर ग्राम लुवां के ग्रामीणों द्वारा अतिक्रमण का प्रयास किया जा रहा हैं। यहां राजस्व क्षेत्र में देवनारायण का मंदिर हैं। श्री देवनारायण मंदिर में ग्रामीणों की आस्था हैं। ग्राम लुवां के लोगो ने वन विभाग को हस्तांतरित क्षेत्र में सीमा पर सीमेंट खंभे गाड़कर पांच लाईन में बारबेड वायर फेंसिग रोड साईट 48 खंभे गाड़कर कर दिये है। क्षेत्र को ग्रामीणों ने 20–20 बीघा अपनी समझ से बांटकर निशानदेही कर दी हैं। फेंसिग का कार्य श्री देवनारायण मंदिर में आ रही दान राशि से किया गया हैं। वनपरिक्षेत्राधिकारी रतनगढ़ को ग्रामीणों ने कहा कि यह श्री देवनारायण की इच्छा से हो रहा हैं। हम लोग इस भूमि पर अतिक्रमण करेगें। हमें कोई नहीं रोक सकता। उपरोक्त भूमि वनपरिक्षेत्राधिकारी रतनगढ़ द्वारा प्रभार में ली गई हैं। ग्रामीण अतिक्रमण का प्रयास कर रहे हैं। इस कार्य में ग्रामीणों की धार्मिक भावना जुडी हुई हैं। इसलिये अतिक्रमण को विफल करने पर कानून व्यवस्था की स्थिति निर्मित हो सकती हैं। कृपया संबंधित राजस्व अधिकारियों को उपरोक्तानुसार अतिक्रमण हटाने हेतु आवश्यक सहयोग प्रदान करने बाबत् निर्देशित करने का कष्ट करें।

संलग्नः– उपरोक्तानुसार।

(क्षितिज कुमार)
भा.व.से.
वनमण्डलाधिकारी
सामान्य वनमण्डल नीमच

पृ.क्र. / मा.चि. / 2020 / 3529 नीमच, दिनांक :– 1.9.2020

प्रतिलिपिः–

01- पुलिस अधीक्षक, सदस्य टास्क फोर्स , जिला नीमच की ओर भेजकर निवेदन हैं, कि कृपया संबंधित पुलिस अधिकारियों को उपरोक्तानुसार अतिक्रमण हटाने हेतु आवश्यक सहयोग प्रदान करने बाबत् निर्देशित करने का कष्ट करें।

02. कार्यपालन यंत्री ,जलसंसाधन संभाग नीमच की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

03. उपवनमण्डलाधिकारी नीमच / वनपरिक्षेत्राधिकारी रतनगढ़ की ओर संदर्भित पत्रों के तारतम्य में भेजकर निर्देशित किया जाता हैं, कि संबंधित राजस्व एवं पुलिस अधिकारियों से संपर्क कर उपरोक्तानुसार अतिक्रमण हटाने हेतु नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।

वनमण्डलाधिकारी
सामान्य वनमण्डल नीमच

DM 2020

430

Scanned with CamScanner

कार्यालय वनमण्डलाधिकारी सामान्य वनमण्डल, नीमच(म0प्र0)

पुरानी पुलिस लाईन के सामने, महू–नसीराबाद रोड़, नीमच
Phone No. (07423) 226605, E-mail- dfot.nmh@mp.gov.in

क्रमांक / मा.चि. / 2020 / 5634 नीमच, दिनांक– 7.9.2020

प्रति,

कार्यपालन यंत्री
जलसंसाधन संभाग नीमच

विषयः– गंगाबावड़ी ,बाणदा एवं परवनी जलाशय योजना के बदले में प्राप्त राजस्व भूमि पर अतिक्रमण के प्रयास विषयक।

सन्दर्भः– कार्यालयीन पत्र क्रमांक / मा.चि. / 2020 / 3528 दिनांक 01.09.2020 एवं उपवनमण्डलाधिकारी नीमच का पृष्ठांकन क्रमांक / मा.चि. / 2020 / 1340 दिनांक 29.08.2020 तथा वनपरिक्षेत्राधिकारी रतनगढ़ का पत्र क्रमांक / 2020 / मा.चि. / 772 दिनांक 29.08.2020.

विषयांकित प्रकरण में लेख हैं, कि नीमच वनमंडल को गंगाबावड़ी ,बाणदा एवं परवनी जलाशय योजना में तहसील सिंगोली के ग्राम लुवां में निम्नानुसार भूमि आवंटित की जाकर हस्तांरित की गई हैं।

अ.क्र.	योजना का नाम	भूमि आवंटन का आदेश क्रमांक	सर्वे नंबर	रकबा (हे. में)
01	गंगाबावड़ी तालाब योजना	क्रमांक / 10 / अ–20(3) / 2017–18 दिनांक 12.09.2018	56	4.11
			167	22.53
			168	1.61
02	बाणदा जलाशय	क्रमांक / 14 / अ–20(3) / 2019–20 दिनांक 07.08.2019	272	25.00
03	परवनी जलाशय		280	8.80

उपवनमंडलाधिकारी नीमच एवं वनपरिक्षेत्राधिकारी रतनगढ़ द्वारा उनके संदर्भित पत्रों से अवगत कराया हैं, कि गंगाबावड़ी तालाब, बाणदा तालाब एवं परवनी जलाशय योजना में प्रभावित होने वाली वनभूमि के बदले में प्राप्त उपरोक्त भूमि पर ग्राम लुवां के ग्रामीणों द्वारा अतिक्रमण का प्रयास किया जा रहा हैं। यहां राजस्व क्षेत्र में देवनारायण का मंदिर हैं। श्री देवनारायण मंदिर में ग्रामीणों की आस्था हैं। ग्राम लुवां के लोगो ने वन विभाग को हस्तांतरित क्षेत्र में सीमा पर सीमेंट खंभे गाड़कर पांच लाईन में बारबेड वायर फेंसिग रोड़ साईट 48 खंभे गाड़कर कर दिये है। क्षेत्र को ग्रामीणों ने 20–20 बीघा अपनी समझ से बांटकर निशानदेही कर दी हैं। फेंसिग का कार्य श्री देवनारायण मंदिर में आ रही दान राशि से किया गया हैं। वनपरिक्षेत्राधिकारी रतनगढ़ को ग्रामीणों ने कहा कि यह श्री देवनारायण की इच्छा से हो रहा हैं। हम लोग इस भूमि पर अतिक्रमण करेगें। हमें कोई नहीं रोक सकता। ग्रामीण अतिक्रमण का प्रयास कर रहे हैं। इस कार्य में ग्रामीणों की धार्मिक भावना जुडी हुई हैं। उपरोक्तानुसार अतिक्रमण को हटाने हेतु आवश्यक कार्यवाही करना सुनिश्चित करें, ताकि प्रकरण मे आगामी कार्यवाही की जा सके।

(क्षितिज कुमार)
भा.व.से.
वनमण्डलाधिकारी
सामान्य वनमण्डल नीमच

पृ.क्र. / मा.चि. / 2020 / 5635 नीमच, दिनांक :– 7.9.2020

प्रतिलिपिः–

01. अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (भू–प्रबंध) भोपाल, म.प्र. की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
02. मुख्य वन संरक्षक उज्जैन वृत्त उज्जैन की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
03. कलेक्टर , जिला नीमच की ओर संदर्भित पत्र के तारतम्य में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

वनमण्डलाधिकारी
सामान्य वनमण्डल नीमच

Scanned with CamScanner

कार्यालय वनमण्डलाधिकारी सामान्य वनमण्डल, नीमच(म0प्र0)

पुरानी पुलिस लाईन के सामने, महू–नसीराबाद रोड़, नीमच

Phone No. (07423) 226605, E-mail- dfot.nmh@mp.gov.in

क्रमांक / मा.चि. / 2020 / 6763 नीमच, दिनांक– 3.11.2020

प्रति,

कलेक्टर एवं
अध्यक्ष, टास्क फोर्स
जिला नीमच

विषयः– गंगाबावड़ी ,बाणदा एवं परवनी जलाशय योजना के बदले में प्राप्त राजस्व भूमि पर अतिक्रमण के प्रयास विषयक।

सन्दर्भः– कार्यालयीन पत्र क्रमांक / मा.चि. / 2020 / 3528 दिनांक 01.09.2020 एवं उपवनमण्डलाधिकारी नीमच का पृष्ठांकन क्रमांक / 2020 / 1781 दिनांक 03.11.2020 एवं वनपरिक्षेत्राधिकारी रतनगढ़ का पत्र क्रमांक / 2020 / मा.चि. / 1045 दिनांक 03.11.2020.

विषयांकित प्रकरण में संदर्भित पत्र के तारतम्य में निवेदन हैं, कि नीमच वनमंडल को गंगाबावड़ी ,बाणदा एवं परवनी जलाशय योजना में तहसील सिंगोली के ग्राम लुवां में निम्नानुसार भूमि आवंटित की जाकर हस्तांरित की गई हैं।

अ.क्र.	योजना का नाम	भूमि आवंटन का आदेश क्रमांक	सर्वे नंबर	रकबा (हे. में)
01	गंगाबावड़ी तालाब योजना	क्रमांक / 10 / अ–20(3) / 2017–18 दिनांक 12.09.2018	56	4.11
			167	22.53
			168	1.61
02	बाणदा जलाशय	क्रमांक / 14 / अ–20(3) / 2019–20 दिनांक 07.08.2019	272	25.00
03	परवनी जलाशय		280	8.80

उपवनमंडलाधिकारी नीमच एवं वनपरिक्षेत्राधिकारी रतनगढ़ द्वारा उनके संदर्भित पत्रों से अवगत कराया हैं, कि उपरोक्त भूमि पर ग्राम लुवां के ग्रामीणों द्वारा अतिक्रमण का प्रयास किया जा रहा हैं। उपरोक्त अतिक्रमण की रोकथाम हेतु वनपरिक्षेत्राधिकारी रतनगढ़ एवं वनअमले द्वारा अतिक्रमण नहीं करने एवं शासन की योजना का क्रियान्वयन करने में आवश्यक सहयोग प्रदान करने हेतु सरपंच, ग्राम पंचायत रेतपुरा एवं ग्रामीणों को समझाईश दी गई हैं। परंतु सरपंच ,ग्राम पंचायत रेतपुरा द्वारा अतिक्रमण को हटाने एवं शासन की योजना का क्रियान्वयन करने हेतु जनसमर्थन जुटाने में सहयोग नहीं किया जा रहा हैं। कृपया सरपंच ,ग्राम पंचायत रेतपुरा को अतिक्रमण को हटाने एवं शासन की योजना का क्रियान्वयन करने में जनसमर्थन जुटाने हेतु आवश्यक सहयोग प्रदान करने के संबंध में कार्यवाही करने का कष्ट करें।

(क्षितिज कुमार)
भा.व.से.
वनमण्डलाधिकारी
सामान्य वनमण्डल नीमच

पृ.क्र. / मा.चि. / 2020 / 6764 नीमच, दिनांक :– 3.11.2020

प्रतिलिपिः–

01. पुलिस अधीक्षक, सदस्य टास्क फोर्स , जिला नीमच की ओर संदर्भित पत्रों के तारतम्य में सूचनार्थ प्रेषित।
02. कार्यपालन यंत्री ,जलसंसाधन संभाग नीमच की ओर संदर्भित पत्रों के तारतम्य में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
03. उपवनमण्डलाधिकारी नीमच / वनपरिक्षेत्राधिकारी रतनगढ़ की ओर संदर्भित पत्रों के तारतम्य में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

वनमण्डलाधिकारी
सामान्य वनमण्डल नीमच

D.M. 2020

Scanned with CamScanner